



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 241]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 अप्रैल 2018—चैत्र 30, शक 1940

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2018

क्र. एफ-19-5-2015-बारह-1.—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9बी की उपधारा (1), (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 13 में, उप नियम (1) में, खण्ड (आ) में, उप खण्ड (क) में, शब्द “सड़क, सेतु, रेलवे एवं जलमार्ग की परियोजनाएं” के स्थान पर शब्द “सड़क, सेतु, रेलवे, ग्रामीण क्षेत्र के लिये खनिज एवं राजस्व विभाग के प्रशासनिक भवन/अवसंरचना एवं जलमार्ग की परियोजनाएं” स्थापित की जाएं।

No. F.-19-5-2015-XII-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (2) and (3) of Section 9B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh District Mineral Foundation Rules, 2016, namely:—

AMENDMENT

In said rules, in rule 13, in sub rule (1), in clause (B), in sub clause (a), for the words “roads, bridges, railways and waterways project”, the “roads, bridges, railways, administrative building/infrastructure of mining and revenue department for rural area and waterways project” shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

481

फटिंग राहुल हरिदास, उपसचिव.